न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 48/2022

अपीलार्थीगण

हकमाराम पुत्र गणेशराम मेघवाल, निवासी– रामदेवजी का मंदिर की गली, सुजापुरा, बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

(1) पटवारी हल्का, बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

(2) राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता सुश्री सीमा खत्री, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 34/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 बाबत अपीलार्थी को ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 698 रकबा 0.29 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 विधि व तथ्यों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है और अपने स्वविवेक का प्रयोग नही कर मनमाने रुप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के विरुद्ध अपीलाधीन प्रकरण गलत संस्थित किया गया था जिसके नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने खाली आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाकर भेज दिया, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि को प्रार्थी हल्का पटवारी, बरलुट भी उपस्थित नही हुये थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करना चाहिये था। हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण को हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा साबित करवाये बिना ही अपीलार्थी को केवल मात्र हल्का पटवारी, बरलुट की रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि का [illegible] मानने में भूल की गई है। यह कि अपीलार्थी का विवादि[illegible] पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है [illegible] बसी हुई। विवादित भूमि पर बने [illegible] दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

मकान के अलावा अपीलार्थी के पास ग्राम बरलुट में अन्य कोई आवासीय स्थल या आवासीय मकान नही है। विवादित भूमि गोचर भूमि नही है। भूमि की पैमाईश गलत की गई है। विवादित भूमि आबादी भूमि है एवं आस पास सघन आबादी बसी हुई है। गोचर भूमि पर बसी हुई आवासीय मकान की भूमि को आबादी में लिये जाने एवं उसके बदले अन्य भूमि को गोचर में आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गंये है। उसके बावजूद भी पटवारी हल्का, बरलुट द्वारा मात्र अपीलार्थी के विरुद्ध ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, बरलुट द्वारा संवत 2079 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्रामं बरलुट, पटवार हल्का बरलुट द्वारा खसरा संख्या 698 रकबा 0.29 हेक्टेयर भूमि पर बाडा व मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रथम सुनवाई तिथि 30.11.2022 को उपस्थित हुआ, लेकिन जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। विवादित भूमि राजस्व भू अभिलेख में गोचर भूमि दर्ज है जिस पर अपीलार्थी अतिक्रमण कर कब्जा, बाडा व मकान बनाया जाने से बाद सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2079 में ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 698 रकबा 0.29 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा व मकान बनाकर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 36/2022 दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 30.11.2022 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में कोई जवाब व सबूत प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व भू अभिलेख में ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 698 रकबा 0.29 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested